2023/ACII/9/2

I/3107607/2024

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

No.2023/ACII/9/2/ e 3422025

RBA No. 28 /2024
New Delhi, dated: 17.10.2024

PFAs
All Zonal Railways/ PUs

Sub: Opening of Government Bank Accounts –Competent Authority for Land Acquisition (Special Railway Projects) Rules , 2024 reg.

Ref: Railway Board's letter no. 2023/ACII/9/2/e 33422025 dated 27.02.2023 (RBA No. 05/2023)

****

Please refer letter ibid on the above subject. In this regard, please find enclosed a copy of Gazette Notification , Extraordinary, Part II-Section 3-Sub-section (i), G.S.R.341(E) dated 20th June, 2024 vide which Competent Authority for Land Acquisition (Special Railway Projects) Rules , 2016 amended and may be called the Land Acquisition (Special Railway Projects) (Amendment) Rules, 2024 .

Accordingly, Railway Board's letter no. 2023/ACII/9/2/e 33422025 dated 27.02.2023 (RBA No. 05/2023) stands modified as under:

(1) Annexure III of above letter may be read alongside Gazette Notification , Extraordinary, Part II-Section 3-Sub-section (i), G.S.R.341(E) dated 20th June, 2024 (copy enclosed) .

(2) the word 'a nationalised bank' in Para 3 of the letter ibid shall be substituted with "a Scheduled commercial bank (Public and Private) notified from time to time by the Reserve Bank of India as Agency Bank".

DA: As above

Signed by
Rajat Agarwal
Date: 17-10-2024 12:31:04

(Rajat Agarwal)
Jt. Director Finance (CCA)
Railway Board
Ph.No. 011-23047018
E mail ID:rajat.agarwal91@gov.in

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062024-254877
CG-DL-E-22062024-254877

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 21, 2024/ज्येष्ठ 31, 1946
No. 318]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 2024/JYAISHTHA 31, 1946

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2024

सा.का.नि. 341(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना:-**(1) इस नियम का संक्षिप्त नाम भूमि अर्जन (विशेष रेल परियोजना)(संशोधन) नियम, 2024 है।

2. भूमि अर्जन (विशेष रेल परियोजना) नियम, 2016 में,-

(i) नियम 4 के उपनियम (2) में, "राष्ट्रीयकृत बैंक" शब्दों के स्थान पर, "एजेंसी बैंक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक"(सार्वजनिक और निजी)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) नियम 5 के, उपनियम (1) में, "राष्ट्रीयकृत बैंक" शब्दों के स्थान पर, "एजेंसी बैंक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक"(सार्वजनिक और निजी)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

[फा. सं. 2023/एलएमएल-II/12/3]

पंकज त्यागी, कार्यपालक निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2024

G.S.R. 341(E).—In exercise of powers conferred by Section 20P of the Railway Act, 1989(24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title, commencement and application:-**(1) These rules may be called the Land Acquisition(Special Railway Projects)(Amendment) Rules, 2024.

2. In the Land Acquisition(Special Railway Projects) Rules, 2016,-

(i) in rule 4, in sub-rule(2), for the words "a nationalized bank", the words and brackets "a Scheduled commercial bank(Public and Private) notified from time to time by the Reserve Bank of India as Agency bank", shall be substituted;

(ii) in rule 5, in sub-rule(1), for the words "a nationalized bank", the words and brackets "a Scheduled commercial bank (Public and Private) notified from time to time by the Reserve Bank of India as Agency bank", shall be substituted.

[F. No. 2023/LML-II/12/3]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (Land and Amenities)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

आरबीए सं. 28/2024

सं.2023/एसी॥/9/2/ई 3422025 नई दिल्ली, दिनांकः 17.10.2024

प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

विषयः सरकारी बैंक में खाते को खोलना –भूमि अर्जन (विशेष रेल परियोजना) नियम, 2024 के लिए सक्षम प्राधिकारी के संबंध में।

संदर्भः रेलवे बोर्ड का दिनांक 27.02.2023 का पत्र सं. 2023/एसी॥/9/2/ 33422025 (आरबीए सं. 05/2023)

कृपया उपर्युक्त विषय पर उक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। इस संबंध में कृपया दिनांक 20 जून, 2024 की राजपत्र अधिसूचना, असाधारण, भाग ॥-खंड 3-उप-खंड (i), सा.का.नि. 341 (अ) की प्रति संलग्न है जिसके माध्यम से भूमि अर्जन (विशेष रेल परियोजना) नियम, 2016 को आशोधित किया गया था और इसे भूमि अर्जन (विशेष रेल परियोजना) (संशोधन) नियम, 2024 के नाम से जाना जाए।

तदनुसार, रेलवे बोर्ड के दिनांक 27.02.2023 के पत्र सं. 2023/एसी॥/9/2/ 33422025 (आरबीए सं. 05/2023) को निम्नानुसार आशोधित हैः

(1) उपरोक्त पत्र के अनुलग्नक ।।। को दिनांक 20 जून, 2024 की राजपत्र अधिसूचना, असाधारण, भाग ॥-खंड-3-उप-खंड (i), सा.का.नि. 341 (अ) के साथ पढ़ा जाए (प्रतिलिपि संलग्न)।
(2) उक्त पत्र के पैरा 3 में 'राष्ट्रीयकृत बैंक' शब्द को एजेंसी बैंक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सार्वजनिक और निजी) के स्थान पर" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

संलग्नकः यथोक्त

(रजत अग्रवाल)
संयुक्त निदेशक वित्त (सीसीए)
रेलवे बोर्ड
दूरभाष सं. 011-23047018
ई मेल आईडीः rajat.agarwal91@gov.in